

#11 गौ-नीति

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां देशी गाय के उत्पादों पर एकाधिकार बनाना चाहती है, ताकि इन्हें ऊँचे दाम पर बेचा जा सके। मंत्रियों एवं मुख्यमंत्रियों का इस्तेमाल करके वे निरंतर ऐसे कानून छपवा रहे हैं, जिससे देशी गाय की नस्ल वर्ण संकर बन रही है, गौ हत्या बढ़ रही है और देशी गौ उत्पाद महंगे हो रहे हैं। इस कानून के गेजेट में आने से गौ हत्या में कमी आएगी, देशी गाय के उत्पाद सस्ते होंगे, और गौ वंश का संरक्षण होगा। इस कानून को विधानसभा से पास करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री इसे सीधे गेजेट में छाप सकते हैं। इस कानून का पूरा ड्राफ्ट इस लिंक पर देखें – Tinyurl.com/GauNiti



प्रस्तावित गौ-नीति कानून के मुख्य बिंदु निचे दिए गए हैं

1. इस कानून में गौ, गाय या गौ-वंश शब्द से आशय है – पूर्णतया भारतीय नस्ल की गाय एवं उसका वंश। अन्य दुधारू पशु जैसे जर्सी गाय आदि इस कानून के दायरे से बाहर रहेंगे।
2. मुख्यमंत्री एक गौ-कल्याण मंत्री की नियुक्ति करेंगे। गौ कल्याण मंत्री राज्य में देशी गाय या भारतीय नस्ल की गाय के संरक्षण एवं देशी गाय के सभी उत्पादों आदि को बढ़ावा देने के लिए नीति-निर्धारण, प्रबंधन एवं नियमन करेगा। गौ मंत्री भारतीय नस्ल की गायों का निषेचन जर्सी सांडों से करने के लिए चलायी गयी सभी योजनाओं को बंद करेगा तथा देशी गाय के दूध में जर्सी गायों के दूध की मिलावट को रोकने के लिए आवश्यक नीति बनाएगा। गौ मंत्री वोट वापसी पासबुक के दायरे में आएगा। यदि वह अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो नागरिक वोट वापसी पासबुक का इस्तेमाल करके उसे बदल सकेंगे।
3. मुख्यमंत्री प्रत्येक जिले में एक गौ प्रकोष्ठ (Cow Protection Cell) की स्थापना करेंगे। इस प्रकोष्ठ का मुखिया पुलिस उप अधीक्षक स्तर का पुलिस अधिकारी होगा, जो कि गौ-रक्षा अधिकारी कहलायेगा। मामलों की संख्या को देखते हुए किसी जिले में इसके लिए अलग से अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, या फिर किसी उप अधीक्षक को इसका अतिरिक्त चार्ज दिया जा सकता है। किन्तु यदि गौ रक्षा अधिकारी को नागरिकों ने वोट वापसी पासबुक का इस्तेमाल करके नियुक्त किया है तो वह सिर्फ गौ प्रकोष्ठ का कार्य ही करेगा।
4. यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो इस कानून के पारित होने के बाद आपको जूरी ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। जूरी मंडल का चयन लॉटरी से किया जाएगा, मुकदमों की गंभीरता को देखते हुए जूरी मंडल में 15 से 1500 तक सदस्य हो सकेंगे। यदि लॉटरी में आपका नाम निकल आता है तो आपको आरोपी, पीड़ित, गवाहों और दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा प्रस्तुत सबूत आदि देखकर बहस सुननी होगी और सजा / जुर्माना या रिहाई का फैसला देना होगा। निचे दिए गए मामले जूरी ड्यूटी के दायरे में आयेंगे :
 - गौ रक्षा अधिकारी, गौ कल्याण मंत्री एवं उनके स्टाफ से सम्बंधित सभी नागरिक शिकायतें।
 - गौ वंश की तस्करी, गौ हत्या एवं देशी गाय से संबंधित सभी प्रकार के मुकदमों।
 - देशी गाय के उत्पादों में जर्सी गायों के उत्पादों की गैर कानूनी मिलावट की शिकायतें।